न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी — कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 193/2019 रा0रा0अ0

1. भजन पुत्र रामसहाय
2. पदम पुत्र रामसहाय

समस्त जाति गुर्जर निवासी धान्या का बन्ध, भांडारेज, तहसील दौसा जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक, कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग एन. एच. 148 दौसा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 14.2.2019 भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा कम संख्या 301 खसरा नंबर 3728 बाबत भूमि अवाप्ति धान्या का बंध भांडारेज तहसील दौसा।

उपस्थित—
1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 29.07.2022

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 14.2.2019 के द्वारा ग्राम भांडारेज के खसरा नंबर 3728 की अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी की प्रचलित डी0एल0सी0 दर से कर दिया। उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 14.02.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी भूमि खसरा नंबर 3728 रकबा 0.35है0 जिसमें से 0.2675है0 भूमि दौसा जि[illegible] के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

गई भूमि खसरा नंबर 3728 का मुआवजा हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित डामरीकृत सडक से दूर होना मानकर अवार्ड राशि पारित की गई है। जबकि प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3728 हाईवे से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित डामरीकृत सडक पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 02 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा जारी अवार्ड के कम संख्या 229 के खातेदार हरमुख पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ढाणी बन्ध धान्या के खसरा नंबर 3723 को हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित मानते हुए अवार्ड राशि जारी की गई है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 3728 एवं हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर की खातेदारी के खसरा नंबर 3723 पास–पास होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर को हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित मानकर मुआवजा राशि जारी की गई है तथा प्रार्थीगण के खसरा नंबर 3728 को हाइवे से 500 मीटर से अधिक दूर मानकर अवार्ड राशि जारी की गई है जो कि कानून के विपरीत है। अप्रार्थीगण के यहॉ प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति दिनांक 17.6.2019 को प्रस्तुत की गई जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के मुआवजा राशि को नहीं बढाया गया है, ना ही किसी प्रकार का कोई कानूनी आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2019 पर जांच तहसीलदार दौसा से मंगवाई, जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर के खातेदारी खसरा नंबर 3723 की भूमि को हाईवे से 500 मीटर की दूरी से कम नही माना है, जिसके बावजूद भी आज दिन तक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है ना ही हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर को अधिक प्रदान किये गये मुआवजे की वसूली की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रार्थीगण के अवाप्त खसरा नंबर 3728 व हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर के अवाप्त खसरा नंबर 3723 दोनों पास पास होते हुए भी दोनों के अवाप्ति आदेश में विरोधाभास है। प्रार्थीगण को समान दूरी पर होते हुए भी मुआवजा राशि कम दी गई है तथा हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर को मुआवजा राशि अधिक दी गई है जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा0पत्र में वर्णित कम संख्या 301 खसरा नंबर 3728 वाके ग्राम धान्या का बंध भांडारेज तहसील दौसा के संबंध मे पारित अवार्ड आदेश दिनांक 14.2.2019 में पारित राशि को बढाकर हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी की दर से मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राजसथान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के 170.8 किमी से 210 किमी(दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे) के निर्माण (आठ लेन का बनाने आदि) हेतु प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों के पालन करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....3 पर

अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के प्रकाशन में स्पष्ठ रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा 3 सी के अंतर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29.11.2018 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 20.12.2018 को प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें खसरा नंबर 3728 रकबा 0.2875 वाके ग्राम भांडारेज भी सम्मिलित है, जो केन्द्र सरकार में अंतिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व 3 डी के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके द्वारा खसरा नंबर 3728 की 0.2875है0 किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम भांडारेज दर्ज थी, जिसका मुआवजा खातेदार को भूमि की किस्म की डी0एल0सी0 दर के आधार पर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी(1) के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के अंतर्गत प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी मुआवजा निर्धारण से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजे के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदार/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, संरचना के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उनका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के संबंध में अपना अवार्ड दिनांक 14.2.2019 को पारित कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण [illegible] राशि का निर्धारण कराया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके [illegible] भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक [illegible] डी0एल0सी0 दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये [illegible] मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....4 पर

की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि की निर्धारित डीएलसी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3728 किस्म सिंचित का अवाप्तशुदा रकबा 0.2675है0 भूमि का मुआवजा राशि 26,89, 573/– रू. प्रति है0 की दर से अवाप्त भूमि का 18,40,519/– रू0 मुआवजा निर्धारण किया गया। प्रार्थीगण की भूमि हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिसका मुआवजा हाईवे से 500 मीटर दूर की दर से निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण अब हाईवे से 100 से 500 वर्गमीटर की दर से मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पत्र कमांक:950 दिनांक 20.5.2022 के अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील दौसा स्थित खसरा नंबर 3723 एवं 3728 को अवाप्त किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का दिनांक 14.02.2019 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी का ड्राफट अवार्ड एन0एच0ए0आई0 के द्वारा तैयार कर भिजवाया गया। जिसकी जांच तत्कालीन पटवारी हल्का एवं गिरदावर भांडारेज एवं तहसीलदार दौसा द्वारा करने पर उक्त खसरा नंबर 3723 की दूरी हाईवे के मध्य से 100 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना एवं खसरा नंबर 3728 की दूरी हाईवे के मध्य से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना बताया गया है। उक्त के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त के संबंध में खसरा नंबर 3723 के हितबद्ध व्यक्ति हरमुख पुत्र रामधन द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अनुबंध विलेख पर हस्ताक्षर कर कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसकी तहसीलदार दौसा द्वारा जांच करवायी गई। उक्त के संबंध में तहसीलदार दौसा द्वारा कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त प्रार्थी हरमुख पुत्र रामधन को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.6.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में तहसीलदार दौसा से पुनः जांच करवाई गई। तहसीलदार दौसा द्वारा पत्र कमांकः 14711 दिनांक 26.9.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि उक्त खसरा नंबर 3723 की हाईवे के मध्य से 532 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया है। तहसीलदार दौसा द्वारा 3 जी के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत रिपोर्ट में भिन्नता पाये जाने पर पत्र [illegible] 6.12.2019 के द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण [illegible] दौसा की जांच रिपोर्ट भेजते हुए उक्त के संबंध में हाईवे से 0–100 मीटर [illegible] से 500 मीटर के खसरा नंबरान की सूची चाही गई थीं जिसके संबंध में [illegible], भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....5 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राधिकरण दौसा द्वारा हाईवे से 0–100 मीटर एवं 100 से 500 मीटर के खसरा नंबरान की सूची उपलब्ध करवायी गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबर 3723 की हाईवे से दूरी 100–500 मीटर है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त दूरी की नाप जीआई सिस्टम से हाईवे की सीमा से की गई है, जिसकी दूरी हाइवे की सीमा से एरियल दूरी 494 मीटर है। तहसीलदार दौसा द्वारा की गई जांच मध्य एवं नक्शा लटठा अनुसार की गई है एवं उक्त भूमि उबड खाबड होने के कारण तहसीलदार दौसा एवं एन0एच0ए0आई0 की नाप में अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। जबकि खसरा नंबर 3723 व 3728 पास पास हाईवे के समानान्तर न होकर आगे पीछे है जिससे उनकी दूरी में अंतर है। ग्राम भांडारेज स्थित भूकि खसरा नंबर 3723 की हाईवे से दूरी 100 से 500 मीटर में है तथा खसरा नंबर 3728 उक्त खसरा नंबर 3723 के पीछे से लगता हुआ है जिसकी सडक सीमा से दूरी 500 मीटर से अधिक है। उक्त खसरा नंबरान का मुआवजा राशि का निर्धारण सडक सीमा से दूरी के अनुसार सही किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भूमि खसरा नंबर 3728 हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। जबकि खसरा नंबर 3723 की दूरी हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी पर बताकर मुआवजा प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर होने से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी आबादी भूमि खसरा नंबर 3728 रकबा 0.35है0 जिसमें से 0.2675है0 भूमि दौसा जिले में एन0एच0 148 एन. के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि खसरा नंबर 3728 का मुआवजा हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित डामरीकृत सडक से दूर होना मानकर अवार्ड राशि पारित की गई है। अवाप्तशुदा भूमि के पारित मुआवजे की राशि की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार की गई है। प्रार्थीगण की मूल व्यथा यह है कि ग्राम भांडारेज स्थित आराजी खसरा नंबर 3728 व 3723 दोनों पास पास होने पर भी खसरा नंबर 3723 के काश्तकार हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर को भूमि खसरा नबर 3723 को हाईवे से 500 मीटर से कम दूरी पर एवं प्रार्थीगण के खसरा नंबर 3728 को हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी पर [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड दिनांक [illegible].12.2019 को पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी [illegible] अवार्ड की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। ग्राम भांडारेज स्थित भूमि खसरा नंबर 3723 में से 0.5002है0 खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....6 पर

हरमुख पुत्र रामधन गुर्जर की भूमि अवाप्त की गई है जिसकी हाईवे से 100 से 500 मीटर की दूरी से अवार्ड राशि जारी की गई है। साथ ही खसरा नंबर 3728 में से 0.2675है0 भूमि प्रार्थीगण की अवाप्त की गई है जिसकी हाईवे से 500 मीटर से अधिक की दूरी से अवार्ड राशि जारी की गई है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि खसरा नंबर 3723 हाईवे से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत प्रा0पत्र की जांच उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा तहसीलदार दौसा से कराई गई। तहसीलदार दौसा द्वारा उपखंड अधिकारी दौसा को बाद जांच रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम भांडारेज स्थित खसरा नंबर 3723 की दूरी हाईवे के मध्य से 500 मीटर की परिधि में नहीं है। इसके अलावा उपखंड अधिकारी दौसा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक–950 दिनांक 20.5.2022 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन0 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे हेतु ग्राम भांडारेज स्थित खसरा नंबर 3723 व 3728 को अवाप्त किया गया है। उक्त खसरा नंबर 3723 की दूरी हाईवे के मध्य से 100 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना एवं खसरा नंबर 3728 की दूरी हाईवे के मध्य से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना बताया गया है। उक्त के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। उक्त के संबंध में खसरा नंबर 3723 के हितबद्ध व्यक्ति हरमुख पुत्र रामधन द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अनुबंध विलेख पर हस्ताक्षर कर कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसकी तहसीलदार दौसा द्वारा जांच करवायी गई। उक्त के संबंध में तहसीलदार दौसा द्वारा कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त प्रार्थी हरमुख पुत्र रामधन को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.6.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में तहसीलदार दौसा से पुनः जांच करवाई गई। तहसीलदार दौसा द्वारा पत्र क्रमांकः 14711 दिनांक 26.9.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि उक्त खसरा नंबर 3723 की हाईवे के मध्य से 532 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया है। तहसीलदार दौसा द्वारा 3 जी के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत रिपोर्ट में भिन्नता पाये जाने पर पत्र दिनांक 6.12.2019 के द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को तहसीलदार दौसा की जांच रिपोर्ट भेजते हुए उक्त के संबंध में हाईवे से 0–100 मीटर एवं 100 से 500 मीटर के खसरा नंबरान की सूची चाही गई थीं जिसके संबंध में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा द्वारा हाईवे से 0–100 मीटर एवं 100 से 500 मीटर के खसरा नंबरान की सूची उपलब्ध करवायी गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबर 3723 की हाईवे से दूरी 100–500 मीटर है। साथ ही यह भी अवगत करवाया गया है कि उक्त दूरी की नाप जीआई सिस्टम से हाईवे की सीमा से की गई है जिससे दूरी हाइवे की सीमा से एरियल दूरी 494 मीटर है। तहसीलदार दौसा द्वारा की गई [illegible] मध्य एव नक्शा लटठा अनुसार की गई है एवं उक्त भूमि उबड खाबड होने के कारण तहसीलदार दौसा एवं एन0एच0ए0आई0 की नाप में अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। जबकि खसरा नंबर 3723 व 3728 पास पास हाईवे

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर ....7 पर

के समानान्तर न होकर आगे पीछे है जिससे उनकी दूरी में अंतर है। ग्राम भांडारेज स्थित भूमि खसरा नंबर 3723 की हाईवे से दूरी 100 से 500 मीटर में है तथा खसरा नंबर 3728 उक्त खसरा नंबर 3723 के पीछे से लगता हुआ है जिसकी सडक सीमा से दूरी 500 मीटर से अधिक है। इस प्रकार हम प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3728 जो कि हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूरी की भूमि का 100 मीटर से 500 मीटर की डीएलसी दर से चाहा गया अनुतोष न्यायोचित नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested